राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2195/2015

भरत लाल मीणा —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. आयुक्त, भू–प्रबंध विभाग, राजस्थान, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.08.2015
आदेश की दिनांक : 05.08.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री पवन शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : अनुपस्थित

समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की 2 जुलाई, 1992 को राजस्व विभाग में नियुक्ति हुई। वर्तमान में अपीलार्थी भू–प्रबंध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में अमीन के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी की वर्ष 1997–98 और 1998–99 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल प्रविष्टियाँ की गईं जो स्पष्ट रूप से गलत थीं। प्रतिकूल प्रविष्टियाँ इस आधार पर की गईं कि अपीलार्थी ने दिसंबर 1997 में 20 दिन, जनवरी 1998 में 5 दिन और मार्च 1998 में 8 दिन कम काम किया और इस प्रकार अपीलार्थी की एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टियाँ की गईं। उक्त प्रतिकूल प्रविष्टियों के कारण अपीलार्थी को नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के सेवा में 9 वर्ष पूरे होने पर चयन ग्रेड का लाभ रोक दिया गया औरया और विधिवत स्पष्टीकरण दिया। अभ्यावेदन के अनुसार उनकी एसीआर में की गई प्रतिकूल प्रविष्टियाँ स्पष्ट रूप से गलत हैं और इससे अपीलार्थी को गंभीर नुकसान हुआ है। अपीलकर्ता ने दिनांक 27.11.2014 को अपने वकील के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को न्याय की मांग के लिए नोटिस भेजा और बताया कि उनके द्वारा एसीआर में की गई उक्त प्रतिकूल प्रविष्टियां गलत और अवांछित हैं। न्याय की मांग हेतु उक्त नोटिस के उत्तर में अपीलार्थी को

दिनांक 25.02.2015 को प्रत्यर्थी संख्या 2 के कार्यालय से पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया कि वर्ष 1997–98 एवं 1998–99 की उनकी एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टियों के कारण चयन वेतनमान दो वर्ष की देरी से दिया गया। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी ने अपनी उक्त प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरूद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि वर्ष 1998–99 में अपीलार्थी को मिलान राजस्व बंदोबस्त को तैयार करने का कार्य दिया गया था। उक्त कार्य पहले श्री अमरचंद मीना को आवंटित किया गया और उक्त कार्य सरकार के परिपत्र के अनुसार पुनः किया जाना था, इसलिए अपीलार्थी ने वही काम दोबारा किया जो पहले श्री अमरचंद मीना ने किया था। उक्त राजस्व ग्राम में 1400 खसरे थे और शासन के परिपत्र के अनुसार दोबारा कार्य कराया जाना था, ऐसे में कार्य पूरा होने में 39 दिन लग गये। अपीलार्थी ने जिन 39 दिनों में कार्य किया था, उनका समायोजन एवं कार्य का मूल्यांकन नहीं किया गया। अपीलार्थी के कार्य का मूल्याकंन किया कि उसने कम काम किया है और तदनुसार अपीलार्थी के एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टियाँ की गईं, इसलिए इस के आधार पर की गई प्रतिकूल प्रविष्टियाँ स्पष्ट रूप से गलत और मनमानी हैं। अपीलार्थी ने उक्त प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरूद्ध अभ्यावेदन दिया, जिसे बिना किसी आदेश के और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और रिकॉर्ड पर विचार किए बिना खारिज कर दिया गया। इसलिए अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के समक्ष अपील/अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें कहा कि अपीलकर्ता की अपील/अभ्यावेदन पर गुण–दोष के आधार पर विचार नहीं किया गया और पत्र दिनांक 30.01.2002 (अनुलग्नक–1) द्वारा गलत आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपील का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि राज्य सरकार को गलत आदेशों की समीक्षा करने की शक्तियाँ हैं। अपीलार्थी की उक्त एसीआर में की गई प्रतिकूल प्रविष्टियाँ स्पष्ट रूप से मनमानी और अवैध हैं। अपीलार्थी ने उक्त कार्य दोबारा किया, जिसमें 39 दिन लगे। इस तथ्य पर प्रतिकूल प्रविष्टियाँ की गईं कि अपीलार्थी ने कुल 33 दिन कम काम किया। दिसंबर, 1997 में मानचित्र उपलब्ध न होने के कारण कार्य रोक दिया गया और अपीलार्थी कार्यालय में उपस्थित रहा। (अनुलग्नक–3) जनवरी, 1998 के महीने में अपीलार्थी द्वारा पूरे महीने काम किया गया। (अनुलग्नक–4) मार्च, 1998 के महीने में भी अपीलकर्ता ने पूरे महीने काम किया। (अनुलग्नक–5) मई 1998 में उन्होंने 6 दिन कम काम किया, जून 1998 में उन्होंने 9 दिन कम काम किया। जुलाई, 1998 में उन्होंने 14 दिन कम काम किया और अगस्त, 1998 में उन्होंने 10 दिन कम काम किया। प्रतिकूल प्रविष्टि का बताया गया कारण पूर्णतया त्रुटिपूर्ण एवं अभिलेख के विपरीत है। अपीलार्थी ने पूरे महीने काम किया और काम भी कम नहीं था। (अनुलग्नक–6 एवं 9) अपीलार्थी की एसीआर में उक्त त्रुटिपूर्ण प्रतिकूल प्रविष्टियों के कारण 9 वर्ष पूर्ण होने पर प्रथम चयन ग्रेड को दो वर्षों के लिए रोक दिया गया

और उक्त लाभ 02.07.2003 से दिया गया, जबकि अपीलकर्ता 02.07.2001 से प्रथम चयन ग्रेड के लिए हकदार था। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर मौखिक आदेश द्वारा निर्णय नहीं लिया गया तथा न्याय की मांग हेतु नोटिस का उत्तर दिया गया कि प्रतिकूल प्रविष्टियों के कारण चयन वेतनमान का लाभ दिनांक 02.07.03 से स्वीकृत किया गया जो कि विधि सम्मत है। (अनुलग्नक–10)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि दिनांक 05.01.2015 (अनुलग्नक –1) के आलौच्य पत्र को निरस्त किया जावे और अपीलार्थी के एसीआर में वर्ष 1997–98 और वर्ष 1998–99 में जो प्रतिकूल प्रविष्टयां की गई है, उनको अवैध घोषित किया जावे। साथ प्रत्यर्थी विभाग को समस्त परिणामी लाभों के साथ दिनांक 02.07.2001 से प्रथम चयन ग्रेड का लाभ देने के निर्देश दिए जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विभागीय आदेश दिनांक 5–1–2015 पूर्णतः नियमानुसार जारी किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न न्यायिक विनिश्चियों में यह मत प्रतिपादित किया है कि आदेशों के नियमों के उल्लंघन अथवा दुर्भावना के आधार पर ही चुनौती दी जा सकती है। अपीलार्थी उक्त तथ्यों को वर्तमान अपील में स्थापित करने में असमर्थ रहा है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान आदेश कमांक 11443 दिनांक 12–10–2006 द्वारा दिनांक 2–7–2003 से स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपील लगभग 8–9 वर्ष बाद में प्रस्तुत की है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनाओं में दर्ज प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरूद्ध माननीय अधिकरण के समक्ष अपील पोषणीय नही है। अपीलार्थी श्री भरतलाल मीणा, भू–मापक के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष 1997–98 में अंकित प्रतिकूल प्रविष्टियों के सम्बन्ध में प्रतिकूल प्रविष्टि की सूचना पत्र क्रमांक 622 दिनांक 28–4–1999 द्वारा कार्मिक को दी गयी है। जिसमें अपीलार्थी श्री भरतलाल मीणा, भू–मापक के समीक्षाधीन अवधि में 33 दिन कारगुजारी कम रही। अपीलार्थी श्री भरतलाल मीणा, भू–मापक द्वारा उक्त प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरूद्व प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 7–6–1999 पर सम्बन्धित अधिकारी (प्रतिकूल प्रविष्टिकर्ता अधिकारी) श्री सूरजभान मीणा, कार्यकारी निदेशक (यातायात) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर ने पत्र क्रमांक 148 दिनांक 21–9–1999 द्वारा अपनी टिप्पणी भिजवायी है, जिसमें अपीलार्थी के द्वारा दी गई टिप्पणी यथावत माने जाने का उल्लेख किया गया है। भू–प्रबन्धक आयुक्त, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक 1593 दिनांक 25–9–1999 द्वारा श्री भरतलाल मीणा, भू–मापक के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन

वर्ष 1997–98 में अंकित प्रतिकूल प्रविष्टियों को यथावत रखा गया है। अपीलार्थी श्री भरतलाल मीणा, भू–मापक के गोपनीय प्रतिवेदन वर्ष 1998–99 में अंकित प्रतिकूल प्रविष्टियों की सूचना पत्र कमांक 886 दिनांक 14–6–2000 के द्वारा दी गई। अपीलार्थी श्री भरतलाल मीणा, भू–मापक द्वारा उक्त प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरूद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 5–7–2000 पर प्रतिकूल प्रविष्टिकर्ता अधिकारी श्री सूरजभान मीणा कार्यकारी अधिकारी (यातायात) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में पत्र कमांक 460 दिनांक 8–9–2000 द्वारा टिप्पणी भिजवाई जिसमें अपीलार्थी के अभ्यावेदन से सहमत नही होने का उल्लेख किया गय। इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि जो प्रविष्टियां अंकित की गई है वे कर्मचारी (अपीलार्थी) द्वारा आलौच्य वर्ष में किये गये कार्य के अनुरूप दी गई है। जिसमें अब किसी प्रकार का परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। भू प्रबन्धक आयुक्त, राजस्थान जयपुर के आदेश पत्र कमांक 2407 दिनांक 27–12–2000 द्वारा वर्ष 1998–99 में अंकित प्रतिकूल प्रविष्टियों को यथावत रखा गया है। अपीलार्थी श्री भरतलाल मीणा, भू–मापक द्वारा भू प्रबन्धक आयुक्त, राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक/फा./भू.प्र.आ./एस.पी.ए./भू मा./ टॉक/10/2000/2407 दिनांक 27–12–2000 के विरुद्ध अपील दिनांक 9–2–2001 के संबंध में अनुभागाधिकारी राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को पत्र कमांक 1431 दिनांक 5–12–2001 द्वारा अपील के संबंध में टिप्पणी व रिकार्ड भिजवाया, जिसमें शासन के पूर्व पत्र कमांक प.4 (1) राज./ ग्रुप–1/96 दिनांक 1–8–1996 में दिये गये निर्देशानुसार प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरूद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन पर सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्णय लेने के पश्चात् अपील करने का कोई प्रावधान नही है, का उल्लेख किया गया। उपरोक्त कार्यवाही राज्य सरकार के द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदना नियम 1976 के अनुसार की गई। अपीलार्थी के प्रति किसी भी अधिकारी की कोई भी दुर्भावना नही रही। अपीलार्थी को सौंपा गया कार्य कम रहा इस कारण से अपीलार्थी की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में कुप्रविष्टियाँ नियमानुसार दर्ज की गई। अपीलार्थी ने अपनी अपील में कुप्रविष्टियां दुर्भावनापूर्वक दर्ज करने का तथ्य भी अंकित नही किये गये है न ही कुप्रविष्टियां दर्ज अंकित करने वाले अधिकारी को वर्तमान में पक्षकार भी नही बनाया है, इस कारण से अपीलार्थी की अपील सरसरी तौर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25–1–1992 एवं समय समय पर चयनित वेतनमान संबंध जारी परिपत्रों के अनुसार राज्य कर्मचारियों को उनकी संतोषप्रद की गई सेवा के अनुसार ही 9, 18 व 27 वर्षीय चयनित वेतनमान दिये जाने के प्रावधान है। यह निर्विवादित है कि अपीलार्थी के वर्ष 1997–98 व वर्ष 1998–99 में कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनाओं में प्रतिकूल प्रविष्टियां दर्ज है, इस कारण से राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25–1–1992 के अनुसार अपीलार्थी

की सेवाएँ संतोषप्रद नहीं होने के कारण अपीलार्थी का प्रथम चयनित वेतनमान आदेश दिनांक 12–10–2006 के द्वारा दिनांक 2–7–2003 से स्वीकृत किया गया जो कि पूर्णतः नियमानुसार है, जिसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं है। राज्य सरकार के द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के संबंध में बनाये गये नियम 1976 के अनुसार ही अपीलार्थी के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष 1997–98, 1998–99 में समग्र रूप से परीक्षण कर बिना कोई दुर्भावना के प्रतिकूल प्रविष्टियां अंकित की गई। अपीलार्थी द्वारा अपनी कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदना वर्ष 1997–98 एवं वर्ष 1998–99 में दर्ज की गई प्रतिकूल प्रविष्टियों के संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर नियमानुसार परीक्षण किये जाने के उपरान्त अपीलार्थी की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदना वर्ष 1997–98 एवं वर्ष 1998–99 में दर्ज की गई प्रतिकूल प्रविष्टियों को यथावत रखी गयी। राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25–1–1992 एवं समय समय पर चयनित वेतनमान संबंध जारी परिपत्रों के अनुसार राज्य कर्मचारियों को उनकी संतोषप्रद की गई सेवा के अनुसार ही 9, 18 व 27 वर्षीय चयनित वेतनमान दिये जाने के प्रावधान है। अतः अपील खारिज की जाने योग्य है।

हमने विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विभाग के आदेश दिनांक 05.01.2015 (अनुलग्नक–1) को अपास्त करने और अपीलार्थी के वार्षिक कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन 1997–98 और 1998–99 में अंकित की गई टिप्पणी को अवैधानिक घोषित करने और अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान दिनांक 02.07.2001 से स्वीकृत किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट है कि आलौच्य आदेश दिनांक 05.01.2015 अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को भेजे गए न्याय मांग के लिए नोटिस दिनांक 27.11.2014 का जवाब है, जिसमें प्रत्यर्थी विभाग द्वारा यह सूचित किया गया है कि अपीलार्थी श्री भरत लाल मीणा के प्रथम नियुक्ति दिनांक 02.07.1992 से सेवाकाल की गणना करने पर प्रथम चयनित वेतनमान दिनांक 02.07.2001 से देय होता है, परंतु गत 7 वर्षों गोपनीय रिपोर्ट में वर्ष 1997–98 और 1998–99 में प्रतिकूल प्रविष्टियां होने के कारण इसका प्रभाव डालकर 2 वर्ष आगे से प्रथम चयनित वेतनमान दिनांक 02.07.2003 से स्वीकृत किया गया। प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के पत्र दिनांक 05.01.2015 को चुनौती दी गई है, परंतु अपील में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसमें क्या नियम विरूद्ध हैं। यह पत्र प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के नोटिस पर तथ्यात्मक स्थिति की सूचना है, इसके द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। जिसमें हम कोई नियम विरूद्ध तथ्य नहीं पाते है।

अपीलार्थी की तरफ से उसके वार्षिक कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन वर्ष 1997–98 और 1998–99 में अंकित प्रतिकूल प्रविष्टियों को अवैधानिक घोषित करने का अनुतोष चाहा गया है। इस संबंध में निवेदन है कि एसीआर की प्रतिकूल प्रतिविष्टियों को अवैधानिक घोषित करे की शक्तियां अधिकरण को निहित नहीं है। साथ ही पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो कि अपीलार्थी के उक्त वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के क्या प्रतिकूल प्रविष्टियां थी। उपलब्ध सामग्री से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी उक्त प्रतिकूल प्रविष्टियों के संबंध में विधिवत सूचना दी जाकर प्रस्तुत जवाब को परीक्षण कर अग्रिम निर्णय लिया गया है। प्रश्न यह है कि क्या प्रतिकूल प्रविष्टियों को नजर अदांज किया जाकर चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में उभय पक्ष के तर्कों से यह स्पष्ट हो रहा है कि अपीलार्थी के निर्धारित से कम कार्य निष्पादन करने के आधार पर प्रतिकूल प्रतिष्टियां एसीआर में की गई है। अतः हम यह पाते है कि प्रतिकूल प्रविष्टियों को नजर अदांज कर चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाना उचित नहीं होगा।

'' चयनित वेतनमान स्वीकृत करने के संबंध में वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25.01.1992 में व्यवस्था की गई है। इस संबंध में राज्य सरकार के चयनित वेतनमान के संबंध जारी किए गए आदेश दिनांक 25.01.1992 के अनुसार :–

> 7. Selection Grades in term of this order shall be granted only to those employees whose record of service is satisfactory. The record of service which makes one eligible for promotion on the basis of seniority shall be considered to be satisfactory for the purpose of grant of the Selection Grade.
>
> GOVERNMENT OF RAJASTHAN'S DECISION
>
> उक्त आदेशानुसार संतोषजनक सेवा अभिलेख होने पर ही कर्मचारी को चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है। इस हेतु वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनों का अध्ययन किया जाता है। कतिपय मामलों में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने के कारण चयनित वेतनमान स्वीकृति का प्रकरण लम्बित हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि कर्मचारी का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं हो सके तो चयनित वेतनमान के प्रकरण का निस्तारण करने के लिये निम्न शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित कर ली जावे :–
>
> (1) कि कोई विभागीय अथवा फौजदारी जांच का प्रकरण विचाराधीन न हो।

(2) कि पिछले वर्षो में निरन्तर वार्षिक वेतन वृद्धियां मिलती रही हों एवं नियंत्रक अधिकारी द्वारा संतोषजनक सेवा का प्रमाण–पत्र दिया जावे।,''

वित्त विभाग के द्वारा जारी आदेश दिनांक 25.01.1992 के उक्त प्रावधानों के अनुसार यदि किसी लोकसेवक की सेवाएं संतोषप्रद नहीं है, उस दशा में चयनित वेतनमान स्थगित किया जाएगा। अपीलार्थी के प्रकरण में भी चयनित वेतमान को उसकी दो वर्ष की वार्षिक प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टियों के आधार पर दो साल बाद स्थगित/स्वीकृत किया गया है, जिसमें हम किसी तरह की नियम विरूद्धता नहीं पाते है। उक्त समस्त तथ्यों के दृष्टिगत अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः हम उक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील में कोई बल नहीं पाते है। अतः अपील अस्वीकार की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)